# इन्टर मीडिएट परीक्षा, १९७९

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

# विपिन बिहारी इण्टर कालेज, झांसी

संख्या

सत्यापन व्यक्तिगत परीक्षार्थी ..... विनांक ११-७-७९

अनुक्रमांक ..... २३३८०८

द्वारा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा, १९७९ में विभिन्न विषयों में प्राप्त किये गए अंकों का विवरण :

वर्ष ..... [illegible]

| परीक्षार्थी द्वारा लिये गए विषय | विषय के निर्धारित अंक | प्रथम प्रश्न पत्र | द्वितीय प्रश्न पत्र | तृतीय प्रश्न पत्र | अनुयोग | क्रियात्मक | वाणिज्य प्रथम: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी | वाणिज्य प्रथम: टंकण: सिद्धान्त | वाणिज्य प्रथम: टंकण: क्रियात्मक | वाणिज्य द्वितीय: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी: प्रथम प्रश्न पत्र | वाणिज्य द्वितीय: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी: द्वितीय प्रश्न पत्र | वाणिज्य द्वितीय: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी: अनुयोग | वाणिज्य द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: प्रथम प्रश्न-पत्र | वाणिज्य द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: द्वितीय प्रश्न-पत्र | वाणिज्य द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: तृतीय प्रश्न पत्र | वाणिज्य द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: चतुर्थ प्रश्न पत्र | वाणिज्य द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: अनुयोग | विषय-योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ |
| १- हिन्दी | १०० | १८ | १६ | १८ | | | | | | | | | | | | | | ५२ |
| २- [illegible] | १०० | ११ | १२ | | २३ | २३ | | | | | | | | | | | | ४६ |
| ३- [illegible] | १०० | १९ | ८ | | २६ | १६ | | | | | | | | | | | | ४४ |
| ४- [illegible] | १०० | १५ | १५ | २१ | | | | | | | | | | | | | | ५१ |
| ५- [illegible] | १०० | १५ | ११ | १६ | | | | | | | | | | | | | | ४२ |
| ६- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

सम्पूर्ण प्राप्तांक शब्दों तथा अंकों में— [illegible]

| परीक्षाफल (प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी या अनुत्तीर्ण) | क्रमांक | विशेष योग्यता | यदि सम्मान सहित उत्तीर्ण हैं तो यहां उल्लेख कीजिए | क्या पूरक परीक्षा का अधिकारी है ? यदि हां तो विषय | क्या निशुल्क अंकानुसन्धान का अधिकारी है ? |
|---|---|---|---|---|---|
| द्वितीय | | | | | |

बनाने वाले के हस्ताक्षर ..... [illegible]

जांचकर्ता के हस्ताक्षर ..... [illegible]

प्रधानाचार्य

PRINCIPAL
Bipin Bihari Inter College
JHANSI

नोट—प्राप्तांक आधार पर परीक्षाफल का निर्णय ठीक हुआ है अथवा नहीं, इसकी जांच परीक्षार्थी [illegible] के आधार पर स्वयं भी कर ले और यदि त्रुटि हो तो प्रधानाचार्य केन्द्र-व्यवस्थापक से तुरन्त [illegible] उसका निराकरण करा ले अन्यथा भूल सुधार में विलम्ब हो सकता है जो परीक्षार्थी के लिये अहितकर होगा। परिषद् के कार्यालय में जांच के फलस्वरूप यदि कोई त्रुटि पाई जायगी तो उसकी सूचना तुरन्त ही प्रधानाचार्य केन्द्र व्यवस्थापक को दी जायगी और वे सम्बन्धित परीक्षार्थी को इसकी सूचना देंगे।

## परीक्षाफल सम्बन्धी नियम

१—प्रत्येक विषय के न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ प्रतिशत हैं। जिन विषयों में क्रियात्मक परीक्षा होती है, उनमें लिखित तथा क्रियात्मक परीक्षा के लिये अलग-अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित है।

२—उत्तीर्ण होने के लिये निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक नहीं होने चाहिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम होने पर प्राप्तांक वृत्त के भीतर किये जाते हैं।

३—किसी विषय में ७५ प्रतिशत अंक पाने पर विशेष योग्यता मिलती है, सम्पूर्ण योग का ७५ प्रतिशत प्राप्तांक होने पर सम्मान सहित उत्तीर्ण घोषित होता है।

४—प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक योग सम्पूर्ण निर्धारित अंकों का क्रमशः ६०, ४५ एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिये।

५—यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा वह केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो वह उस विषय में पूरक परीक्षा का अधिकारी होगा।

६—पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्षार्थी जो केवल एक विषय में २८ प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं वे पूरक परीक्षा के अधिकारी होने के साथ ही साथ स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी होंगे। इनकी उत्तर-पुस्तकों का अंकानुसन्धान निःशुल्क होगा।